भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2386

(08 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआरएलएम के तहत लक्ष्य की प्राप्ति

2386. श्री महेंद्र भट्टः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू आय बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) किन राज्यों में संचालित किया जा रहा है; और

(ख) इस योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष स्थायी आजीविका से जोड़े गए गरीब लोगों की कुल संख्या कितनी है, उनके कार्यों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई- एनआरएलएम) को परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख) सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का लक्ष्य रखा था। देश में जून 2025 तक, कुल 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कृषि आजीविका घटक महिला किसान (एसएचजी सदस्यों) के साथ मिलकर कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, जिसमें बेहतर पशुधन प्रबंधन पद्धतियां शामिल हैं, ताकि उन्हें खेती की लागत को कम करने, उत्पादन बढ़ाने और जलवायु चुनौतियों से परिस्थिति-अनुसार निपटने में मदद मिल सके। महिला किसान परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कृषि क्लस्टर

आवंटित किए गए हैं। महिला किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच के लिए उत्पादक समूहों में संगठित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

जून 2025 तक 4.62 करोड़ महिला किसानों को कवर किया जा चुका है। सामुदायिक संस्थाओं ने महिला किसानों की सहायता के लिए 3 लाख से अधिक प्रशिक्षित आजीविका सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, महिला किसानों को बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1,285 महिला-स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों और 1.95 लाख उत्पादक समूहों को प्रमोट किया गया है। महिला किसान परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए राज्यों को 6,000 एकीकृत कृषि क्लस्टर आवंटित किए गए हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, गैर-कृषि आजीविका घटक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिसमें स्वयं सहायता समूह परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसमें व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए, उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी-ईपी) का एक संवर्ग भी शामिल होता है । इन सेवाओं में व्यावसायिक विचारों की पहचान करना, व्यावसायिक योजना तैयार करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, बैंक ऋण प्राप्त करना, खातों का रखरखाव करना और विपणन शामिल हैं। गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत जून 2025 तक, 4.87 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।
